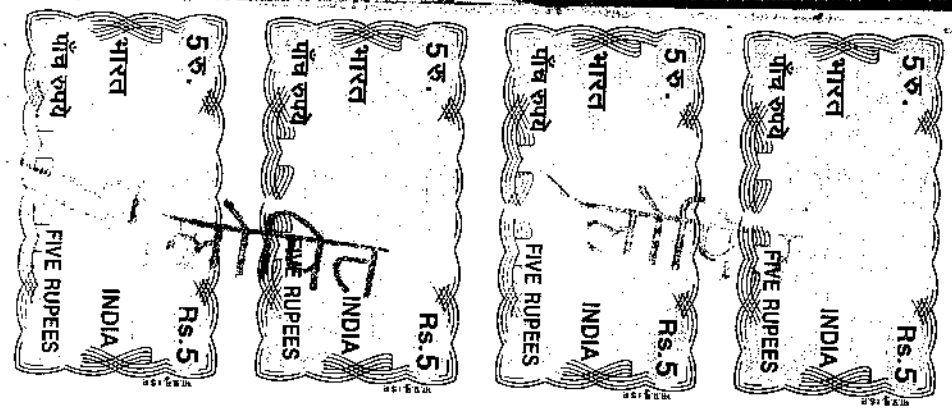

82

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी निग-1279-III/16

श्री .... द्वारा आज दि. 21/4/16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्रीमति शकुन्तला देवी पत्नी स्व. श्री देवकी-नन्दन रिछारिया, आयु 56 साल व्यवसाय - कृषि, निवासी :- तहसील लवकुश - नगर, जिला छतरपुर, --निगरानीकर्ता

बनाम

दीपक गुप्ता पुत्र स्व. श्री चिरौंजीलाल गुप्ता निवासी : लवकुश नगर, जिला छतरपुर,

-- रेस्पाडेन्ट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म प्र भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर, के प्रकरण क्रमांक 18 / स्थानांतरण /बी-121 / 15-16 के आदेश दिनांक 12.4.2016 से दुखित होकर ।

माननीय न्यायालय

निगरानी कर्ता की ओर से निगरानी निम्नप्रकार प्रस्तुत है:-

संक्षिप्त तथ्य :-

1- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदिका श्रीमती शकुन्तला देवी देवकी नन्दन रिछारिया साकिन लवकुश नगर, ने आवेदन प्रस्तुत किया कि आवेदकने तहसील के न्यायालय में खसरा नंबर 1744/2 के तरमीम हेतु आवेदन पत्र

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1279– दो/16 जिला –छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
2–5–16	आवेदक के अधिवकता श्री एम0 पी0 भटनागर उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदक प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रकरण में दिनांक 8.6.16 पेशी नियत है जबकि केवियेटकर्ता प्रकरण में उपस्थित हो चुके हैं। अतः आवेदक अधिवक्ता का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण आज ही सुनवाई हेतु लिया गया। केवियेटकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री बिजेन्द्र सिंह धाकड़ उपस्थित। 2– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 18/स्थानांतरण/15–16 में पारित आदेश दिनांक 12.4.16 से परिवेदित होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। 3– प्रकरण का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका शकुंतला बेवा देवकीनंदन रिछारिया निवासी लवकुशनगर जिला छतरपुर ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अनावेदक ने तहसीलदार के न्यायालय में खसरा न0 1744/2 के तरमीम हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है चूंकि आवेदिका की भूमि के सामने खसरा न0 1744 शासकीय न0 होने से उसके द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर रिकार्ड सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो तहसीलदार के न्यायालय में 49/अ–6–अ/14–15 पर दर्ज होकर पेशी दिनांक 29.11.16 नियत की गई है।	

4- आवेदिका ने दिनांक 13.10.15 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि जब तक रिकार्ड सुधार का निराकरण नहीं हो जाता तब तक तरमीम के प्रकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके इस आवेदन पत्र दिनांक 13.10.15 पर विचार नहीं किया जा रहा है और न ही विधि एवं प्रकिया अनुसार कार्यवाही की जा रही है इसलिये उन्होंने किसी अन्य सक्षम न्यायालय में प्रकरण स्थानांतरण किये जाने का अनुरोध किया है। उनके द्वारा यह भी लेख किया गया है कि आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में दिनांक 16.2.16 को आवेदन प्रस्तुत किया था जो तहसीलदार के न्यायालय में कार्यवाही हेतु भेजा गया था जिस पर तहसीलदार द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

5- आवेदिका के अधिवक्ता ने अपने तर्क में वही तथ्य दोहराये गये जो उनके द्वारा निगरानी मेमो उल्लेखित किये गये हैं। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के न्यायालय में फर्जी प्रविष्ट का अभिलेख में निरस्त किये जाने का आवेदन दिया गया था जिस पर किसी प्रकार का विचार न करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.4.16 निरस्त किया जावे।

6- अनावेदक केवियेटकर्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदिका द्वारा पूर्व में धारा 30 का आवेदन दिया गया था उसे निरस्त किया जा चुका है तथा रिकार्ड सुधार का आवेदन भी दिनांक 31.3.16 को निराकृत किया जाकर खारिज किया जा चुका है । अतः आवेदिका अनावश्यक रूप से परेशान करने की आदी है तथा आवेदिका द्वारा दिया गया स्थानांतरण का

आवेदन निरस्त किया जावे।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचारोउपरांत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूॅ कि अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार लवकुशनगर को प्रकरण प्रत्यावर्तित कर उभयपक्ष को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देते हुये नियमानुसार आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है वह सही है, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं समझाता हूॅ । प्रस्तुत आवेदिका द्वारा निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर का आदेश दिनांक 12.4.16 स्थर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हों । राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य